गोपनीय

संख्याः 351/ XLIII(1)/16–38(11)/सतर्कता/2002

प्रेषक,

शत्रुध्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

3. निदेशक ,
   सतर्कता अधिष्ठान,मु0,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

सु0भ्र0उ0ज0 (सतर्कता) अनुभाग

देहरादूनःदिनांक 02 सितम्बर, 2016।

विषयः–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती एवं शिकायतकर्ता की शिकायत के त्वरित निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि शासन–प्रशासन की छवि स्वच्छ एवं पारदर्शी हो किन्तु कतिपय विभागों द्वारा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ट्रैप किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बन के पश्चात् सेवा में बहाल होने के उपरान्त पुनः न केवल उनके पूर्व तैनाती स्थल पर तैनात कर दिया जा रहा है, वरन शिकायतकर्ता की शिकायत का समयबद्ध निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल शिकायतकर्ता का मनोबल गिरता है, वरन उसके अनावश्यक उत्पीडन की सम्भावना भी बनी रहती है। इससे शासन प्रशासन की स्वच्छ एवं पारदर्शी छवि तो धूमिल होती ही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण के सम्बन्ध में कर्मचारियों एवं आम जनता के मध्य नकारात्मक संदेश भी जाता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैः–

1. ट्रैप हुए अभियुक्त को पुनः उसकी पूर्व तैनाती स्थल पर किसी भी दशा में तब तक तैनात न किया जाये, तब तक कि ट्रैप वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है।

2. शिकायतकर्ता का वह कार्य, जिस हेतु उसने रिश्वत देने के स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने में सतर्कता विभाग का सहयोग किया है, को सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा उससे एक स्तर उच्चाधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर तत्काल निस्तारित किया जाएगा।

3. निदेशक, सतर्कता द्वारा रिश्वत मांगने सम्बन्धी शिकायत/समस्या को आवेदनकर्ता की ओर से समाधान पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग के स्तर पर अपलोड कराया जाएगा तथा अपलोडेड शिकायत से प्राप्त होने वाले शिकायत नम्बर को सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को प्रेषित करते हुए समस्या के त्वरित निस्तारण हेतु अनुरोध भी किया जाएगा तथा इसकी सूचना सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी ताकि **"मा0 मुख्यमंत्री शिकायत निवारण दिवस"** में यथावश्यकता प्रकरण/शिकायत को प्रस्तुत किया जा सके।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया उपरोलिखित निर्णय/दिशा निर्देशों का अपने स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः /XLIII(1)/2016–38(11)/सतर्कता/2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 सतर्कता मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव।